न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 16 / 2019

प्रार्थीगण–

1. मोहनसिंह पुत्र भीखसिंह जाति भोमिया राजपूत निवासी जसोल जरिये प्रतिनिधि भोमिया राजपूत समाज जसोल, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. खीमाराम पुत्र छोगाराम जाति नाई निवासी जसोल जरिये प्रतिनिधि नाई समाज जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. बाबूसिंह पुत्र फूलसिंह जाति रावणा राजपूत अध्यक्ष, रावणा राजपूत समाज जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. ईश्वरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत जसाले
3. ग्राम पंचायत जसोल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 250 दिनांक 15.10.1986 जो ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंघल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 11 / 03 / 2020

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 3 ग्राम पंचायत जसोल द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम जसोल मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 250 दिनांक 15.10.1986 को जारी किया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 355.55 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी इस पट्टा विलेख की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत जसोल का प्रश्नगत अभिलेख मंगाया गया। अप्रार्थी सं. 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत जसोल द्वारा रावणा राजपूत समाज, राजपूत (भोमिया) समाज एवं नाई समाज के प्रतिनिधियों के आवेदन पत्र पर तीनों समाजों का संयुक्त रूप से काठबाड़ा के सामाजिक उपयोग हेतु ग्राम जसोल की आबादी भूमि में से 3200 वर्गफुट का आलौच्य पट्टा सं. 250 जारी किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने के बाद उक्त पट्टे की भूमि का रावणा राजपूत, राजपूत (भोमिया) एवं नाई समाज जसोल का संयुक्त कब्जा लगातार चला आ रहा हैं और तीनों समाज के व्यक्ति इस बाड़े की भूमि में शमशान की लकड़ियों का संग्रह करने हेतु उपयोग में लेते आ रहे हैं। करीब छः माह पूर्व रावणा राजपूत समाज के लोग उक्त पट्टा के भूखण्ड में सफाई कर पत्थर डालने लगे तब प्रार्थीगण द्वारा पूछताछ करने बताया कि यह काठबाड़ा हमारा हैं जिसमें हॉल का निर्माण कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा इस बताया कि यह काठबाड़ा तीनों समाज के नाम से संयुक्त पट्टा एवं स्वामित्व का हैं तब बताया कि इसके पट्टा रावणा राजपूत समाज के नाम बनवा लिया हैं। इस पर प्रार्थीगण द्वारा आलौच्य पट्टा की नकल ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की गई, जिससे पाया गया हैं कि ग्राम पंचायत की ओर से जारी पट्टा में तीन समाज के अंकित नाम में से राजपूत एवं नाई समाज का नाम बाद में पेन से काट दिया गया हैं। सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा यह भी बताया कि इसके अलावा रावणा राजपूत समाज के पक्ष में अन्य कोई पट्टा जारी नहीं किया गया हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पट्टा जारी करने बाबत कोई पत्रावली कायम नहीं की गई हैं और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1से3 ने मिलकर षडयन्त्र पूर्वक ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलौच्य पट्टा सं. 250 में अनाधिकृत रूप से कांट–छांट करके अपने पक्ष में पट्टा बनाया हैं जो पूर्णतया अवैध होने से निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि आलौच्य पट्टा सं. 250 फर्जी कार्यवाही के द्वारा एवं ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किये बिना जारी किया गया हैं जिसका सर्वप्रथम ज्ञान प्रार्थीगण को दिनांक 26.06.2019 को हुआ जब वर्तमान सरपंच द्वारा प्रार्थीगण को उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रति दी गई। आलौच्य पट्टा आरम्भतः शुन्य होने से इसके सम्बन्ध में मयाद का कोई प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई जवाब/अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया तथा दौरान सुनवाई प्रकट किया कि पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया हैं किन्तु ऐसा कोई लिखित राजीनामा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि ग्राम पंचायत जसोल द्वारा रावणा राजपूत समाज, राजपूत (भोमिया) समाज एवं नाई समाज के प्रतिनिधियों के आवेदन पत्र पर तीनों समाजों का संयुक्त रूप से काठबाड़ा के सामाजिक उपयोग हेतु ग्राम जसोल की आबादी भूमि में से 3200 वर्गफुट का आलौच्य पट्टा सं. 250 जारी किया गया था। अप्रार्थी सं. 1से3 ने मिलकर षडयन्त्र पूर्वक ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलौच्य पट्टा सं. 250 में अनाधिकृत रूप से कांट–छांट करके तीन समाज के अंकित नाम में से राजपूत एवं नाई समाज का नाम पेन से काट दिया गया हैं। ग्राम पंचायत जसोल से आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत के संकल्प सं. 5 के अनुसरण में जारी किया गया हैं जिसमें मिसल सं. 1से60 तक के पट्टे जारी करने का संलल्प पारित किया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख नियमानुसार कार्यवाही के द्वारा जारी किया गया हैं किन्तु नूल पट्टे को देखने पर काट–छांट स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही हैं जो अन्य रंग की स्याही से की गई हैं। आलौच्य पट्टे में की गई उक्त काट–छांट के लिये सरंपच, ग्रामसेवक अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया है, जिससे इसमें बदनियती होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मूल रूप से जारी उक्त पट्टा विलेख से पट्टाधारियों के हित–अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तथा इस पट्टे की सत्यता की जांच के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पैमाने पर पुनरीक्षण योग्य प्रतीत होता हैं। इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा धारा 97 के तहत आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने के आदेश की सत्यता, वैधता एवं औचित्यता को देखा जाना है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के अवलोकन से यद्यपि किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि होना नहीं पाया गया हैं किन्तु आलौच्य पट्टा सत्यता की कसौटी पर बहाल रखे जाने योग्य नही होने से इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार बनता हैं। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित सत्यता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत होता हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी किया गया आलौच्य पट्टा सं. 250 दिनांक 15.10.1986 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत जसोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि विवादित भूखण्ड पर हितबद्ध पक्षकारों के हक–स्वामित्व के संबंध में पुनः जांच कर उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार कार्रवाई सम्पन्न कर प्रकरण का निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर